तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली पेश हुई वकील द्वय कार्य स्थगित
10-3-21	पत्रावली पेश हुई वकील द्वय कार्य स्थगित रखा पेश करने स्थगित पत्रावली 31-3-21 को पेश हो।
31-3-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पेश करने स्थगित पत्रावली 7-4-21 को पेश हो।
	आन्तिम निर्णय
7-4-21	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वादी द्वारा 100/- रुपये का नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश किया गया प्राथमिक बटवारा रिपोर्ट के मुताबिक वादी मोहन पुत्र चतरा के हिस्से में ख.न. 379/1 रकबा 0.10 हे. ख.न. 455 0.48 हे. ख.न. 463 0.23 हे. ख.न. 535/2 0.06 हेक्टर खसरा किता-4 योग रकबा 0.87 हेक्टर वाके ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ रहेगा। ख.न. 379 रकबा 0.23 हेक्टर ख.न. 464 0.20 हे. ख.न. 467 0.22 हे. ख.न. 468 0.20 हे. ख.न. 535/1 0.03 हे. किता-5 योग रकबा 0.88 हेक्टर वाके ग्राम उतराना प्रतिवादी सं.1 किशना पुत्र चतरा के हिस्से में रहेगा। तथा ख.न. 379/2 0.10 हे. 460 0.19 हे. 461 0.26 हे. 465 0.18 हे. [illegible] योग रकबा 0.88 हेक्टर वाके ग्राम उतराना प्रतिवादी सं.2 लगायत 4 के हिस्से में हिस्सा बराबर रहेगा। एवं ख.न. 462 रकबा 0.01 हेक्ट. गैर मुमकिन सामलाती रहेगा। तदानुसार →

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
आन्तिम डिक्री जारी हो -उमनुसार अन्तिम डिक्री जारी की गई पत्रावली पर शेष कार्यवाही नही होने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी [illegible] (बून्दी)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

100/- रुपये का नोन ज्यूडिशल स्टाम्प संलग्न है।

FD ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नैनवां (?)
व इजलास श्री प्रमोद कुमार (R.A.S.)

1 मोहन आत्मज चतरा जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी (वादी)

बनाम 1 किशना आ. चतरा जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी वगैरह P.T.O.

प्रतिवादीगण

दावा बाबत 53 बटवारा RTA.

मुकदमा नम्बर 2/दावा/2018 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है मुताबिक बटवारा कमिश्नर रिपोर्ट के ख.न. 379/1 रकबा 0.10 हैक्टर ख.न. 455 रकबा 0.48 हैक्टर ख.न. 463 रकबा 0.23 हैक्टर ख.न. 535/2 रकबा 0.06 हैक्टर खसरा किता 4 योग रकबा 0.87 हैक्टर वाके ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ वादी मोहन पिता चतरा के हिस्से में रहेगा। तथा ख.न. 379 रकबा 0.23 हैक्टर ख.न. 464 रकबा 0.20 हैक्टर ख.न 467 रकबा 0.22 है. ख.न. 468 रकबा 0.20 हैक्टर ख.न. 535/1 रकबा 0.03 हैक्टर कुल किता 5 योग रकबा 0.88 हैक्टर P.T.O.-2

खर्चा इन निज मुबलिग बाबत फीसदी सालाना आज की तारीख

मुकद्दमें के मय सूद बशरह

से तारीख अदायगी तक का अदा करें। 07-04-2021

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॅान		
5. खर्चा गवाहॅान			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे वह किसी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से निम्न वाद पत्र प्रस्तुत है -

Scanned by CamScanner

2. लाबूलाल आत्मज छोटया जाति मीणा निवासी ग्राम उत.
तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3. जोधराज आत्मज छोटया जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना
तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
4. कैलाशी बेवा छोटया जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना
तहसील इन्द्रगढ़
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला
बून्दी (राज.)

— प्रतिवादीगण — — —

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

15 FEB 2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

②

15 FEB 2021

... जिला बून्दी (राज०)

मोहन बनाम किशना

प्रतिवादी स. 1 किशना पुत्र चतरा के हिस्से में रहेगा। एवं ख.न. 379/2 रकबा 0.10 हैक्टर ख.न 460 रकबा 0.19 हैक्टर ख.न 461 रकबा 0.26 हैक्टर ख.न. 465 रकबा 0.18 हैक्टर ख.न. 535/3 रकबा 0.15 हैक्टर किता-5 योग रकबा 0.88 हैक्टर वाके ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ प्रतिवादी सं. 2 लगायत 4 के हिस्से में हिस्सा बराबर 1/3 1/3 रहेगा। तथा ख.न. 462 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु. चाह वादी व प्रतिवादी स. 1 लगायत 4 के सामलाती खाते में रहेगा। रहन बादस्तूर जमाबन्दी यथावत रहेगा।

संलग्न :- नक्शा हैश हाथ प्रति

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

वाद संख्या 2/2018 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :— 11.01.2018 — गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. मोहन आत्मज चतरा जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

— वादी —

बनाम

1. किशना पिता चतरा जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
2. बाबूलाल आत्मज छोटया जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
3. जोधराज आत्मज छोटया जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
4. कैलाशी बेवा छोटया जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

— प्रतिवादीगण —

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट
बटवारा कृषि भूमि

निर्णय

दिनांक :— 20.06.2019

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 379 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा संख्या 455 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा संख्या 460 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा संख्या 461 रकबा 0.26, खसरा संख्या 462 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा संख्या 463 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा संख्या 464 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा संख्या 465 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा संख्या 467 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा संख्या 468 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा संख्या 535 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 2.64 हैक्टर वाके ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0) में स्थित है इसमें वादी 1/3 हिस्से का सहखातेदार टीनेन्ट है एवं मौके पर बाहमी बटवारा के अन[illegible] भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर [illegible]काश्त करते आ रहे है तथा गै0मु0 कुआ से भी सभी वादीगण व [illegible] खेतों की सिंचाई करते आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

लेकिन उक्त भूमि का संयुक्त खाता होने से वादी को सरकारी योजनाओं का फायदा लेने में भारी परेशानी का सामना करना पडता है इसलिये खाता विभाजन करवाना आवश्यक हो गया है इसलिये वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह माननीय न्यायालय में अपने 1/3 हिस्सा बटवारा करवाये एवं राजस्व रिकार्ड में पृथक से दर्ज करवायें।

वादी द्वारा प्रतिवादीगण से कहा कि उक्त कृषि भूमि का अपने हिस्से व कब्जा के अनुसार बंटवारा करवालें लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा कोई ध्यान नही दिया है। वादी द्वारा दिनांक 27.12.2017 को प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि खाता विभाजन करवाले लेकिन प्रतिवादीगण ने मना कर दिया यही वाद कारण है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व दिनांक 13.03.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया और कथन किया कि वादी का वाद स्वीकार योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 का भी हिस्सा 1/3 सहखातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 का भी बटवारा हिस्से अनुसार कर पृथक से खाता कायम किया जावें।

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 पेश की है। मौखिक साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है।

वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वाद वर्णित आराजी में वादी का हिस्सा 1/3 सहखातेदार टीनेन्ट राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में बटवारा कर पृथक से खाता कायम किये जाने की डिक्री फरमाई जावें।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072–2075 के अवलोकन से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड चले आ रहे है। सहखातेदारों को बटवारा कराने का विधिवत अधिकार प्राप्त होने से वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। खसरा संख्या 379 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा संख्या 455 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा संख्या 460 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा संख्या 461 रकबा 0.26, खसरा संख्या 462 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा संख्या 463 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा संख्या 464 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा संख्या 465 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा संख्या 467 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा संख्या 468 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा संख्या 535 रकबा 0.24 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 2.64 हैक्टर वाके ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में निहित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा राजस्व रिकार्ड के अनुसार विधिवत बटवारा किये जाने हे[illegible] को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तथा आदेश दिये जाते है कि [illegible]न को तलब कर पक्षकारान की उपस्थिति में राजरव मण्डल[illegible] व धारा 53 आर.टी.एक्ट. के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये एवं [illegible] निर्धारण करते हुये प्राथमिक बटवारा कर पालना रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस में दर्शाते हुये दिनांक 14.08.2019 से पूर्व न्यायालय में पेश करें। बटवारा कमिश्नर फीस 2[illegible] रू निर्धारित की जाती है जो

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला बून्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वक्त बटवारा वादी द्वारा अदा की जावेगी। तदनानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय दिनांक 20.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रा० ड़िगरी ब मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भारेवरी

व इजलास मोरधानलाल मीना R.A.S.

बनाम (1)

(1) मोहन आत्मज चतरा जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ बून्दी

वादी

(1) किशना आत्मज चतरा जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ वगैरह

P.T.O.

प्रतिवादीगण

दावा बाबत 53 आर-टी-एक्ट

मुकदमा नम्बर 2/दावा/2018 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू ...... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का वाद-पत्र स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ख.नम्बर 379 रकबा 0.43 हैं. ख.नं. 455 रकबा 0.48 हैं. ख.नं. 460 रकबा 0.19 ख.नं. 461 रकबा 0.26 हैं. ख.नं. 462 रकबा 0.01 हैं. ख.नं. 463 रकबा 0.23 हैं. ख.नं. 464 रकबा 0.20 हैक्टर ख.नं. 465 रकबा 0.18 हैं. ख.नं. 467 रकबा 0.22 हैक्टर ख.नं. 468 रकबा 0.20 हैक्टर ख.नं. 535 रकबा 0.24 हैक्टर कुल खसरा किता-11 योग रकबा 2.64 हैक्टर वाके ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि में

निज ...... मुबलिग ...... बाबत ...... खर्चा इन P.T.O.

मुकद्दमें के मय सूद बशरह ...... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ...... का अदा करें।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20-6-2019 माह ...... सन ...... को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां जिला बून्दी

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. [illegible]		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर एक फरीक का चाहे उसी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:34 IST
Reason: Self Attested

Scanned by CamScanner

2. बाबूलाल आत्मज छोरया जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील

3. जोधराज आत्मज छोटया जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़

4. कैलाशी बेवा छोटया जाति मीणा निवासी ग्राम उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी (राज.)

5. स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ - - - -

— - प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

1. कथन :- नीहित वादी का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी सं. 1 का नीहित हिस्सा 1/3 का विधिवत प्राथमिक बटवारा पक्षकारान की उपस्थित में राजस्व मण्डल के प्रावधानो को बटवारा नियम 18 से 21 व धारा 53 आर.टी.एक्ट के प्रावधानो को मध्यनजर रखते हुए एव रास्ते का निर्धारण करते हुए प्राथमिक बटवारा कर फाईनल रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के दिनांक 14-8-2019 से पूर्व न्यायालय मे पेश करे। बटवारा कामिश्नर फीस 2000/-रु. निर्धारित की जाती है जो कब्त बटवारा वादी द्वारा अदा की जावेगी।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2021.06.10 14:56:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner